श्री प्रशांत कुमार, भा०प्र०से०, उपायुक्त, धनबाद –सह–प्रबंध निदेशक, जे०आर०डी०ए०, की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2013 को आहूत सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति–संलग्न सूची अनुसार ।

उपायुक्त,–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए., धनबाद के आदेशोपरांत बैठक की कार्रवाई आरम्भ की गई।

दिनांक 28.02.2013 के समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन स्थिति की सम्पुष्टि की गई।

1. माडा पाईप लाईन हेतु ट्रेन्च कटिंग

माडा– पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण ट्रेन्च कटिंग से संबंधित कार्य की अद्यतन स्थिति पर चर्चा नही हो पायी।

2. एन०एच० 32 (महुदा–तोपचाँची पथ)

मुख्य प्रबन्धक (असैनिक) ने बतलाया कि महुदा–तोपचाँची रोड का स्थल निरीक्षण पुनः दिनांक 11.04.2013 को किया गया तथा उस समय चल रहे Bituminous carpeting के कार्य का निरीक्षण किया एवं डी.बी.एम. की मोटाई प्रस्तावित मोटाई के समरुप पायी गयी।

उपायुक्त, धनबाद ने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को कार्य प्रस्तावित अवधि में निर्धारित गुणवत्ता से सम्पन्न कराने का निदेश दिया।

3. बरमसिया–बेलगड़िया पथ :

इस पथ की लंबाई करीब 8 कि.मी. है जिसका चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता (आर.ई.ओ.) ने बताया कि 10 वर्षो के लंबे अंतराल के पश्चात् इस कार्य को कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कठिनाइयाँ है एवं वित्तीय प्रावधान भी समुचित नही है।

उपायुक्त महोदय ने मुख्य प्रबन्धक(असैनिक) को निदेश दिया कि उक्त पथ के Estimate एवं Agreement का विस्तृत अध्ययन कर इसके विभिन्न प्रावधानों की जानकारी अगली बैठक में समर्पित करें।

4. विभिन्न पदों पर नियुक्ति :

कुल पाँच पदों में से चार पदों पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा योगदान कर लिया गया है। शेष एक पद (कार्यालय सहायक) पर अभी तक योगदान नही दिया गया है।

उपायुक्त महोदय ने शीघ्र निर्णय लेने हेतु चयनित उम्मीदवार को स्मारित कर योगदान के संबंध में स्पष्ट कराने का निदेश दिया।

5. सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण :

उपायुक्त महोदय को अभी तक किए गए सर्वेक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। नई एजेन्सी मेसर्स व्हिजमंत्रा, धनबाद द्वारा विगत दो माह में प्रस्तावित 18 स्थलों पर की गई 2700 प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण की जानकारी दी गई। उन्होंने पुराने एजेन्सियों यथा–CIMFR एवं I.S.M., Dhanbad द्वारा कार्यो की विस्तृत जानकारी प्राप्त की, अभी तक प्राप्त विवरणी को क्रमशः स्थलवार/क्षेत्रवार विभक्त

कर बाइंडिंग कराने का निदेश दिया। उन्होनें विवरणी के soft copy (CD) को JRDA के कार्यालय में स्थित Computer में upload कर सिलसिलेवार ढंग से संकलन करने का निदेश दिया।

उपायुक्त, धनबाद ने निदेशक, CIMFR, धनबाद को उनके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से सूचित करने को कहा, जिससे एक निर्धारित तिथि पर अभी तक सम्पादित सर्वेक्षण कार्यों का विवरणी विभिन्न जमा विपत्रों के अनुसार प्रमाणित हो सके।

6. भू–अर्जन :

भू–अर्जन के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी, भू–अर्जन जे.आर.डी.ए., ने उपायुक्त को अवगत कराया कि जोड़ाफाटक से करमाटॉड़ तक सम्पर्क पथ (रिंग रोड) के लिये मौजा–ढोखरा, मनईटॉड़, दुहाटॉड़ एवं धनबाद में 20 एकड़ एवं पुनर्वास हेतु मौजा–लिपनियां में 120.82 एकड़ अर्जित भूमि का स्वामित्त्व जे.आर.डी.ए. को प्रदान कर दिया गया है। लेकिन बहुत से पंचाटियों को अभी तक मुआवज़ा भुगतान नही हुआ है। अतः स्थल पर भौतिक रुप से दखल कब्जा प्राप्त करते समय पंचाटियों द्वारा व्यवधान/विरोध किया जा सकता है। इस पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि राशि की कमी के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इस पर उपायुक्त का आदेश हुआ कि इस मद में 20 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त कर दी गई है। अतः रैयतो को शीघ्र मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

यह भी अवगत कराया गया कि मौजा लिपनियां में 120.82 एकड अर्जित भूमि में से 73 एकड़ (रेलवे लाईन के बगल की भूमि) को मानचित्र पर चिन्हित कर दिया गया है तथा संपर्क मार्ग के लिए स्थल निरीक्षण भी किया गया है।

प्रभारी भू–अर्जन द्वारा बताया गया कि बेलगड़िया की 37.56 एकड़ भूमि (जोन बी) पर दखल कब्जा लेने के क्रम में बी.सी.सी.एल. में नियोजन नही मिलने के संबंध में आपत्ति की गई है। जे.आर.डी.ए. द्वारा बी.सी.सी.एल. में प्रदान की गई नियोजन की सूची को प्राप्त कर आपत्तिकर्त्ताओ/विरोधकर्त्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसमें अब उक्त भूमि के एवज में बी.सी.सी.एल. द्वारा मात्र 4 नियोजन देना ही शेष है। इस पर उपायुक्त द्वारा आदेश दिया गया कि संबंधित आपत्तिकर्त्ताओं को जे.आर.डी.ए. में भूमि संबंधी प्रमाण वगैरह के साथ आपत्ति दर्ज कराने हेतु दिनांक 10.05.2013 तक का समय देने का आम सूचना/पत्र भेजें। उक्त तिथि के बाद की प्रतिक्रिया पर संज्ञान नही लेने का भी निदेश दिया गया।

7. अन्य असैनिक कार्यो की समीक्षा :

मुख्य प्रबन्धक (असैनिक) द्वारा निम्नलिखित असैनिक कार्यो का अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया :–

i. बेलगड़िया में उच्च विद्यालय निर्माण का E-tender के पश्चात् (TCR) टी.सी.आर. प्रक्रियाधीन है।

ii. मौजा बेलगड़िया में 2000 विस्थापित आवास के टाउनशिप का कार्य प्रगति पर है और अब 30 ब्लॉक का मिटटी कटाई हो चुका है 24 ब्लॉक में RCC foundation हो चुका है।

iii. मंदिर निर्माण के कार्य का LOA सं०-274 दि० -25.04.2013 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

iv. मस्जिद निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

v. बेलगड़िया में बच्चों का पार्क निर्माण हेतु चाहरदिवारी (Compound Wall) के लिए मिटटी कटाई का कार्य चल रहा हे।

vi. बेलगड़िया में नाली सफाई का काम प्रगति पर है।

vii. बेलगड़िया मार्केट काम्पलेक्स में दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफीस इत्यादि बन कर आवंटन के लिए तैयार है।

viii. जे.आर.डी.ए. कार्यालय के छत–मरम्मति का कार्य शुरु हो चुका है और लगभग 25% कार्य पुरा हो चूका है।

ix. लिपनियां में विस्थापित आवासों के निर्माण हेतु DPR के प्रारम्भिक Layout के बारे में विमर्श किया गया और ज्यादा से ज्यादा विस्थापित आवासों का समाहित करने का निदेश प्राप्त हुआ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

18/05/13.

उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक
जे.आर.डी.ए. धनबाद।